

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 62/2024

रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/61

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम
बांसवाड़ा (राज)

श्री इस्लाउद्दीन शेख पुत्र श्री हसीनुद्दीन
शेख, निवासी सदर कोलोनी, बांसवाड़ा
(विक्रेता/ मालिक) मैसर्स चिशतिया फ्लोर
मील, किशन पोल गेट, बांसवाड़ा (राज.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 24-09-2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री शशिकान्त शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 09-04-2024 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 15-02-2024 को बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु 1.00 पी.एम. बजे मैसर्स चिशतिया फ्लोर मील, किशन पोल गेट, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री इस्लाउद्दीन शेख पुत्र श्री हसीनुद्दीन शेख उपस्थित थे। मैसर्स चिशतिया फ्लोर मील, किशन पोल गेट, बांसवाड़ा का निरीक्षण करने पर दुकान में मिर्च पाउडर (लूज) एक एल्युमिनियम की टंकी में लगभग 11 किग्रा रखा पाया। जिसको एफ.एस.एस.ए के तहत देखने पर मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर मिर्च पाउडर (लूज) जाँच हेतु विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए मिर्च पाउडर (लूज) 2 किग्रा वास्ते नमूना जाँच हेतु क्रय कर इनकी कीमत 720/- रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा मिर्च पाउडर (लूज) 2 किग्रा को साफ सुखे प्लास्टिक के जारों में बराबर बराबर मात्रा में भरकर एयर टाईड ढक्कन बंद कर, चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा का कोड क्रमांक W-1721 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार



न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)



सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/118 दिनांक 18-03-2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 233 दिनांक 27-02-2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया मिर्च पाउडर (लूज) का नमूना कोड क्रमांक **W-1721** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006+ Contravention of Regulation no 2.3.14 (15) (Prohibition and Restriction on Sale) है। विक्रेता द्वारा निर्धारित अवधि में पुनः जांच हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। विक्रेता द्वारा मिर्च पाउडर (लूज) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51, 58 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 09-04-2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 20.05.2024 को अप्रार्थी की ओर से श्री यशपाल गुप्ता अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। 24-09-2024 को अप्रार्थी ने अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया गया कि अप्रार्थी अपना कारोबार मैसर्स चिशितया फ्लोर मील के नाम से आटा चक्की का व्यवसाय करता है। अप्रार्थी का लूज आर्टिकल बेचने का कोई व्यवसाय नहीं है मात्र उक्त फ्लोर मील के जरिये हल्दी, मिर्ची, धनिया आदि पिसाई का कार्य ही है तथा उक्त खाद्य पदार्थ सुरक्षित अवस्था में ही जो व्यक्ति पिसवाता है उसे सुपुर्द किया जाता है। अप्रार्थी गरीब पेशावर होकर मात्र पिसाई का व्यवसाय करता है एवं आर्थिक स्थिती भी अप्रार्थी की दयनिय है। अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत आवेदन में

न्याय निर्णय/अधिकारी
(अति.जिला क्लर्क)
बॉसवाडा (राज.)

नम्रता का रुख अपनाकर उक्त प्रकरण फैसल करने के आदेश प्रदान करे। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत बहस में भी जवाब में उल्लेखित कथनो को दोहराते हुए नरमी का रुख अपनाकर न्यूनतम अर्थ दण्ड से दण्डित करने निवेदन किया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/118 दिनांक 18-03-2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 233 दिनांक 27-02-2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया मिर्च पाउडर (लूज) का नमूना कोड क्रमांक W-1721 Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006+ Contravention of Regulation no 2.3.14 (15) (Prohibition and Restriction on Sale) है। इस प्रकार प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत Substandard एवं लाल मिर्च खुला बेचना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में वर्जित है। विक्रेता ने मिर्च पाउडर (लूज) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 51, 58 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री इस्लाउद्दीन शेख पुत्र श्री हसीनुद्दीन शेख, निवासी सदर कोलोनी, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स चिशतिया फ्लोर मील, किशन पोल गेट, बांसवाडा (राज.) को 5000/- (अक्षरे रू पांच हजार मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 24-09-2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त न्यायाधीश)
बांसवाडा (राज.)